न्यायालय–मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर।

भारतीय मानक ब्यूरो बनाम मैसर्स मयूर लैदर्स प्रोडक्टस लि0
जरिए राजेन्द्र कुमार वगै0
परिवाद संख्या – 3557/16
अंतर्गत धारा 11 सपठित धारा 33 भारतीय मानक ब्यूरो
अधिनियम 1986

आदेशिका

दिनांक– 29.08.2017

परिवादी अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्तगण मैसर्स मयूर लैदर्स प्रोडक्ट्स लि. जरिए डायरेक्टर राजेन्द्र कुमार पोद्धार, राजेन्द्र कुमार पोद्धार, राजेश वीरेन्द्र गुप्ता, अमिता पौद्धार, मधुकर चतुर्वेदी, मधुसूदन प्रसाद केजरीवाल मय अधिवक्ता श्री सर्वेश जैन उपस्थित।

अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 11 सपठित धारा 33 भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 का आरोप मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप स्वीकार कर क्षमा चाही तथा पृथक से लोक अदालत की भावना से स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर साक्ष्य परिवादी बंद की गई।

अतः उपरोक्त अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उक्त अभियुक्तगण मैसर्स मयूर लैदर्स प्रोडक्ट्स लि. जरिए डायरेक्टर राजेन्द्र कुमार पोद्धार, राजेन्द्र कुमार पोद्धार, राजेश वीरेन्द्र गुप्ता, अमिता पौद्धार, मधुकर चतुर्वेदी, मधुसूदन प्रसाद केजरीवाल को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 11 सपठित धारा 33 भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 में दोषी करार दिया जाता है।

सजा के बिन्दु पर सुना गया। अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा यह प्रकट किया गया कि आयन्दा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगें। अतः नरमी का रूख अपनाया जावे। जबकि विद्वान अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्को का विरोध किया।

उभय पक्षों के तर्को को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः मामलें के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः अभियुक्तगण 01. मैसर्स मयूर लैदर्स प्रोडक्ट्स लि. जरिए डायरेक्टर राजेन्द्र कुमार पोद्धार, 02. राजेन्द्र कुमार पोद्धार 03. राजेश वीरेन्द्र गुप्ता 04. अमिता पौद्धार 05. मधुकर चतुर्वेदी 06. मधुसूदन प्रसाद केजरीवाल को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 11 सपठित धारा 33 भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 में दोषसिद्ध किया जाकर प्रत्येक अभियुक्त पर 5000/–रूपये

cont..

29.8.17
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट
जयपुर महानगर, जयपुर

मुख्य प्रतिलिपिक
(प्रतिलिपि शाखा)
न्यायालय महानगर
जयपुर महानगर

कुल 30,000/–रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त एक–एक माह का साधारण कारावास भुगतेगें। अभियुक्तगण के नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

आदेशानुसार अभियुक्तगण की ओर से कुल 30,000/– रूपये अर्थदण्ड के जमा कराए गए जो रसीद संख्या.. 72/96017 दिनांक 29.08.17 जमा हुए।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

29.8.17

मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर, जयपुर।

केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा (जजेज, सीजेएम/ऐसीजेएम कोर्टस)
सत्यमेव जयते
जिला एवं सैशन न्यायालय
जयपुर महानगर

मुख्य प्रतिलिपिक
(प्रतिलिपि शाखा)
जजेज, सीजेएम/ऐसीजेएम कोर्टस

प्रति–हस्ताक्षरित
सत्य प्रतिलिपि

प्रभारी अधिकारी 9/17
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा
(सी.एम.एम./ए.सी.एम.एम. कोर्टस)
जिला एवं सैशन न्यायालय
जयपुर महानगर